भा.क.नि.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

(भारत सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001

सूचना का अधिकार

CCI

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

अल्पकालीन परिवहन निविदा सूचना (Ready Bales) हेतु ।

SHORT-TERM TENDER NOTICE

भारतीय कपास निगम लिमिटेड राजकोट द्वारा फसल वर्ष 2018-19 के लिए अपने विभिन्न प्रस्तावित **खरीदी केन्द्रों पर स्थित जिनिग एवं प्रेसिंग फेकटरी से क्रय की गई तैयार रुई की गांठों को** फ़ैक्टरी से स्थानीय गोदाम /अन्य स्थान तक परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं कों नियुक्त करने हेतु मुहरबंद निविदाए आमंत्रित करता है । (केन्द्रो की सूची नियम एवं शर्तो के साथ संलग्न है) पूर्ण रूप से भरा हुआ टेंडर फार्म दिनांक 15.02.2019 दोपहर 3.00 बजे तक निगम के शाखा कार्यालय राजकोट में जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त हुए मुहर बंद निविदाए उसी दिन दोपहर 3.30 बजे शाखा कार्यालय राजकोट मे उपस्थित निविदाकर्ताओ के सामने खोली जाएगी । निविदा फॉर्म किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय समय मे शाखा कार्यालय राजकोट से रु 112/- (एक सौ बारह रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट देकर दिनांक 08.02.2019 से दिनांक 14.02.2019 तक प्राप्त किए जा सकते है या निगम की वेबसाइट www.cotcorp.org.in या सरकारी वेबसाइट www.eprocure.gov.in पर देखी/उतारी जा सकती है । जो निविदाकर्ता सीधे वेबसाइट से फॉर्म लेते है उनके लिए 112/- डिमांड ड्राफ्ट (केवल Schedule / Nationalized Bank का हो) जो " दि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजकोट" के पक्ष में देय हो जमा करके निविदा प्राप्त की जा सकती है । उक्त टेंडर के साथ रु 50000/- (Rs.पचास हजार केवल) की EMD राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत / सिड्यूल बैंक जो कि " दि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजकोट" के पक्ष मे देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा । विस्तृत नियम एवं शर्ते निविदा की अन्य जानकारी निगम की उपरोक्त वेबसाइट पर देखी / उतारी जा सकती है ।

निगम किसी भी निविदाओं को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।

शाखा प्रबंधक

भा.क.नि.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

(भारत सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001

सूचना का अधिकार

CCI **Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001**

Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

निविदा फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम दिनांक : 14 .02.2019	**साय 5.30 बजे तक**
निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम दिनांक 15.02.2019	**दोपहर 3.00 बजे तक**
निविदा खोलने की अंतिम दिनांक 15.02.2019	**दोपहर 3.30 बजे**

तैयार गांठों के परिवहन टेंडर की तकनीकी बीड -1(Technical Bid -1) कपास सत्र 2018-19

निविदा शुल्क रु 112/-

01. परिवहन ठेकेदार का नाम :.....

02. पिता का नाम :.....

03. पत्राचार के लिए पूरा डाक पता :.....

दूरभाष नं./मोबाइल नं/ई-मेल :.....

आई.डी. यदि है तो :.....

04. **केंद्र का नाम जिसके लिए टेंडर भरा जाना है।** **:.....**

05. धरोहर राशि का विवरण : डीडी नं : ..... दिनांक : .....

: राशि : ..... बैंक : .....

06. निविदा फीस का विवरण : डीडी नं : ..... दिनांक : .....

: राशि : ..... बैंक : .....

07. पैन नं.(PAN NO.) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। :.....

08. स्थायी पता :.....

.....

09. ट्रक सख्या :(खुद का या अनुबंध से लिया हो): .....

10. क्या निविदाकर्त्ता के पास 10 से ज्यादा ट्रक है।(कृपया हाँ/नहीं लिखें): .....

(ANNEXURE -1 के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करें): .....

11. GST Registration No. :.....

(GST certificate to be enclosed)

12. रुई की गाँठे परिवहन कार्य का अनुभव :.....

13. यदि पहेले निगम का कार्य किया हो तो फसल वर्ष : .....

दिनांक :..... हस्ताक्षर .....

परिवहन ठेकेदार का नाम .....

सील :.....

भा.क.नि.

CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)
(भारत सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001
Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001
Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621
E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

सूचना का अधिकार

बीड : II

निविदा फॉर्म नं :.....

निविदा जारी दिनांक :.....

रुई की तैयार गांठों के परिवहन हेतु टेंडर की वित्तीय बीड -II(Financial Bid-II) कपास सत्र 2018-19

क्र. स	कहाँ से	(कहाँ तक) दर प्रति गांठ (ट्रक भराई, एवं उतराई तथा गोदाम में थप्पी लगाना तक)							
		GSWC/Pvt Godown अंजार	*GSWC/ Pvt Godown वढ़वाण*	GSWC/ Pvt Godown गोंडल	GSWC/ Pvt Godown बोटाद	GSWC/ Pvt Godown महुवा	GSWC/ Pvt Godown मानावदर	CWC/Pvt Godown राजकोट	CWC/Pvt Godown पीपावाव
01	अंजार	N/A							
02	भुज								
03	मांडवी								
04	टंकारा								
05	मोरबी								
06	कुवाडवा								
07	तरधड़ी								
08	वांकानेर								
09	चोटीला								
10	ध्रागध्रा								
11	हलवद								
12	राजकोट							N/A	
13	शापर								
14	कोटड़ा-सांगानी								
15	गोंडल			N/A					

क्र. स	कहाँ से	**(कहाँ तक) दर प्रति गांठ (ट्रक भराई,एवं उतराई तथा गोदाम में थप्पी लगाना तक)**							
		GSWC/ Pvt Godown अंजार	*GSWC Pvt Godown वढ़वाण*	GSWC/ Pvt Godown गोंडल	GSWC/ Pvt Godown बोटाद	GSWC/ Pvt Godown महुवा	GSWC/ Pvt Godown मानावदर	CWC/Pvt Godown राजकोट	CWC/Pvt Godown पीपावाव
16	जामकंडोरना								
17	रायडी								
18	धोराजी								
19	जेतपुर								
20	उपलेटा								
21	मानावदर						N/A		
22	कोडिनार								
23	उना								
24	जामजोधपुर								
25	ध्रोल								
26	कालावाड								
27	जामनगर								
28	जसदन								
29	बोटाद				N/A				
30	राणपुर								
31	दामनगर								
32	बाबरा								
33	ढसा								
34	गढ़ड़ा								
35	गरियाधार								
36	अमरेली								
37	लिंबड़ी								
38	चूड़ा								
39	वढ़वाण(वडोद)		N/A						
40	पालिताना								
41	तलाजा								
42	महुवा					N/A			
43	राजुला								N/A
44	सावरकुंडला								

रुई की तैयार गांठों के परिवहन हेतु टेंडर की वित्तीय बीड -II(Financial Bid-II) कपास सत्र 2018-19

क्र. स	कहाँ से	(कहाँ तक) दर प्रति गांठ (ट्रक भराई, एवं उतराई तथा गोदाम में थप्पी लगाना तक)			
		CWC/Pvt Godown मुँदरा	*cwc/ Pvt Godown थानगढ़*	cwc/ Pvt Godown जामनगर	cwc/ Pvt Godown कांडला
01	अंजार				
02	भुज				
03	मांडवी				
04	टंकारा				
05	मोरबी				
06	कुवाडवा				
07	तरधड़ी				
08	वांकानेर				
09	चोटीला				
10	ध्रागध्रा				
11	हलवद				
12	राजकोट				
13	शापर				
14	कोटड़ा-सांगानी				
15	गोंडल				
16	जामकंडोरना				
17	रायडी				
18	धोराजी				
19	जेतपुर				
20	उपलेटा				
21	मानावदर				
22	कोडिनार				
23	उना				
24	जामजोधपुर				
25	ध्रोल				
26	कालावाड				
27	जामनगर			N/A	
28	जसदन				
29	बोटाद				

क्र. स	कहाँ से	**(कहाँ तक) दर प्रति गांठ (ट्रक भराई, एवं उतराई तथा गोदाम में थप्पी लगाना तक)**			
		CWC/Pvt Godown मुँदरा	*cwc/ Pvt Godown थानगढ़*	cwc/ Pvt Godown जामनगर	cwc/ Pvt Godown कांडला
30	राणपुर				
31	दामनगर				
32	बाबरा				
33	ढसा				
34	गढ़ड़ा				
35	गरियाधार				
36	अमरेली				
37	लिंबड़ी				
38	चूड़ा				
39	वढ़वाण(वडोद)				
40	पालिताना				
41	तलाजा				
42	महुवा				
43	राजुला				
44	सावरकुंडला				

नोट : परिवहन कार्य के अंतर्गत गाँठो के परिवहन समेत Loading & Unloading एवं Stacking का कार्य शामिल होगा।

हस्ताक्षर .....

परिवहन ठेकेदार का नाम .....

पता एंव सील :.....

केंद्र का नाम :.....

स्थान :.....

दिनांक :.....

स्थानीय (Local) तैयार गांठों के परिवहन हेतु टेंडर की वित्तीय बीड -II(Financial Bid-II) कपास सत्र 2018-19

क्र. स.	कहाँ से	(कहाँ तक) दर प्रति गांठ (ट्रक भराई, एवं उतराई तथा गोदाम में थप्पी लगाना तक)		
		फ़ैक्टरी से गोदाम दूरी 1 से 10 किमी तक	फ़ैक्टरी से गोदाम दूरी 10.1 से 20 किमी तक	फ़ैक्टरी से गोदाम दूरी 20.1 से 30 किमी तक
01	अंजार			
02	भुज			
03	मांडवी			
04	टंकारा			
05	मोरबी			
06	कुवाडवा			
07	तरधड़ी			
08	वांकानेर			
09	चोटीला			
10	ध्रागध्रा			
11	हलवद			
12	राजकोट			
13	शापर			
14	कोटड़ा-सांगानी			
15	गोंडल			
16	जामकंडोरना			
17	रायडी			
18	धोराजी			
19	जेतपुर			
20	उपलेटा			
21	मानावदर			
22	कोडिनार			
23	उना			
24	जामजोधपुर			
25	ध्रोल			
26	कालावाड			
27	जामनगर			
28	जसदन			
29	बोटाद			

क्र. स.	कहाँ से	**(कहाँ तक) दर प्रति गांठ (ट्रक भराई, एवं उतराई तथा गोदाम में थप्पी लगाना तक)**		
		फ़ैक्टरी से गोदाम दूरी 1 से 10 किमी तक	**फ़ैक्टरी से गोदाम दूरी 10.1 से 20 किमी तक**	**फ़ैक्टरी से गोदाम दूरी 20.1 से 30 किमी तक**
30	राणपुर			
31	दामनगर			
32	बाबरा			
33	ढसा			
34	गढ़ड़ा			
35	गरियाधार			
36	अमरेली			
37	लिंबड़ी			
38	चूड़ा			
39	वढ़वाण(वडोद)			
40	पालिताना			
41	तलाजा			
42	महुवा			
43	राजुला			
44	सावरकुंडला			

नोट : परिवहन कार्य के अंतर्गत गाँठो के परिवहन समेत Loading & Unloading एवं Stacking का कार्य शामिल होगा।

हस्ताक्षर .....
परिवहन ठेकेदार का नाम .....
पता एंव सील :.....
केंद्र का नाम :.....

स्थान :.....
दिनांक :.....

भा.क.नि.

CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

(भारत सरकार का उपक्रम – वस्त्र मंत्रालय) रूड़ा बिल्डिंग, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड, राजकोट-360001

Ruda Building 5th Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001

Telephone No 2441629. Fax No. 0281-2458621

E-mail: rajkot@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.org.in, www.ministryoftextiles.gov.in

सूचना का अधिकार

कपास मौसम वर्ष 2018-19 के लिए तैयार गाँठो के परिवहन कार्य की निविदा के लिए नियम एवं शर्ते

01. परिवहन निविदा निर्धारित आवेदन – प्रपत्र में ही दी जाए तथा प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। अन्यथा मान्य नहीं होगा। निविदा फॉर्म मे दिये गए सभी कॉलम स्पष्ट रूप से भरना है,कोई कारण से अपूर्ण फॉर्म स्वीकार नहीं होगा ।
02. निविदाकर्त्ताओ को निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करनी होगी।

   - लिफाफा **"क"**: लिफाफा **"क"** पर **तकनीकी बीड-1** लिखकर EMD की डी.डी.,टेंडर फीस की डी.डी. तथा अन्य कागजात टेंडर में रखे।
   - लिफाफा **"ख"** : लिफाफा "ख" पर केवल **वित्तीय बीड** लिखकर उसे **वित्तीय बीड – 2** रखे।
   - लिफाफा **"ग"** : पर" **रुई की तैयार गाँठो के परिवहन कार्य** हेतु निविदा फसल वर्ष 2018-19 "लिखकर "**क" एवं "ख" रखे ।**

03. **तकनीकी बीड -1** में योग्य पाये गए निविदाकर्त्ताओ की ही **वित्तीय बीड - 2** खोली जायेगी।
04. निविदा कर्ता के पास पैन नंबर (PAN Number) होना अनिवार्य है तथा फोटोकॉपी निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है एवं GST Registration No. भी होना आवश्यक है तथा GST Registration प्रमाणपत्र अनिवार्यरूप से लगाना होगा।
05. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि (EMD) रु.**50000/-** (Rs.पचास हजार केवल) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि "दि. कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजकोट" के नाम से देय हो। जिस परिवहनकर्त्ता का धरोहर राशि (EMD) वर्ष 2018-19 के लिए शाखा राजकोट में जमा है वह परिवहनकर्त्ता को धरोहर राशि (EMD) Rs.50000/- जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।
06. यदि निविदाकर्ता निविदा के साथ नियम एवं शर्ते संलग्न नहीं करता एवं हस्ताक्षरित नियम एवं शर्ते नहीं लगाता है तो यह माना जाएगा की निविदाकर्ता द्वारा नियम एवं शर्ते पढ़ ली गई है और उसे मान्य है। निविदा मे निगम की दी गई शर्तो के अलावा निविदाकर्ता की कोई भी शर्ते मान्य नहीं होगी।
07. निविदा में भरी हुई दरें स्पष्ट होनी चाहिए , जो दरें स्पष्ट नहीं होगी वह दरें रद्द समझी जाएगी , फैक्स या ई- मेल मान्य नहीं होगा। अगर निविदा में भरी गई दरों में कटिंग की जाती है तो उस पर हस्ताक्षर अवश्य किए जाए , पेन्सिल से लिखी गई दरें मान्य नहीं होगी।
08. निर्धारित प्रोफार्मा में ही निविदाएँ दिनांक **से 15.02.2019** को दोपहर 3.00 तक बंद लिफाफे मे शाखा कार्यालय मे जमा की जाएगी। निविदाएं उसी दिन **3.30** बजे शाखा कार्यालय मे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी एवं अंतिम रूप दिया जाएगा।
09. निगम के टेण्डर बॉक्स में एक बार टेण्डर डालने के पश्चात निविदाकर्त्ता टेण्डर वापस नहीं मांग सकता। टेण्डर वापस मांगने पर डिपॉजिट की राशि जप्त की जा सकती है।
10. किसी भी निविदा को पूर्णत: या अंशत: अथवा सभी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार निगम अपने पास सुरक्षित रखता है और परिस्थितियों को देखते हुए निगम उपरोक्त नियम एवं शर्तो पर पुनः विचार कर सकता है। निगम अपने विवेक से शर्तो में फेर बदल करने या कोई छूट देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
11. **निविदाकर्ता द्वारा परिवहन दर प्रति गांठ में अन्य खर्चे के साथ सभी कर इत्यादि शामिल करके देने होगे(GST को छोड़कर)। अत: परिवहन बिल का भुगतान करते समय नियमानुसार कर (TAX) की कटौती की जाएगी।**
12. **निविदाकर्ता द्वारा परिवहन दर भरते समय यह सुनिश्चित करे की इनके द्वारा भरी दरे जी.एस.टी. को छोड़कर है यानि Transportation rate excluding GST rates.**

13. केन्द्र/फ़ैक्टरी से रुई की तैयार गाँठे गोदाम तक ले जाने का **प्रति गांठ दर loading & unloading and stacking के साथ** निविदा मे देना है **।**

14. निविदाकर्त्ता की रेट फाइनल होने के पश्चात पूरे अनुबंध की अवधि के दौरान कोई भी कारणो से दरो मे वृद्धि नहीं की जाएगी एवं ना तो इस बारे मे कोई प्रस्ताव रखा जायेगा । ट्रक की रुकावट के लिए निगम द्वारा कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जाएगा ।

15. प्रस्तावित केन्द्रो की निविदा भरने से यह जरूरी नहीं है की निगम अवश्य कार्य होगा । कार्य नहीं होने की स्थिति मे निविदाकर्ता दिनांक 31.03.2019 के बाद धरोहर राशि (EMD) बिना व्याज वापस लेने हेतु केन्द्र प्रभारी/ गोदाम प्रभारी की सिफ़ारिश के साथ आवेदन कर सकता है । निगम के किसी भी खरीदी केन्द्र पर कार्य की मात्रा की कोई गारंटी (guarantee) नहीं होगी ।

16. उठाई जाने वाली तैयार गाँठो की संख्या की जानकारी परिवाहक द्वारा निगम के केन्द्र प्रभारी /फैकटरी प्रभारी से संपर्क करके फैक्टरी से तैयार गाँठो की उठाने की व्यवस्था 24 घंटे के अंदर –अंदर प्लेट फ़ॉर्म से गंतव्य स्थान पर सुरक्षित भंडारित नहीं किया जाता है तो परिवहन कर्ता के बिलो से 2 रु. प्रतिदिन ,प्रतिगांठ के अनुसार वसूली की जायेगी ।

17. ट्रक की हालत ऐसी ना हो की वह गाँठो को क्षतिग्रस्त करें । केमिकल तथा कोयला आदि ढोने वाले ट्रको की पूरी सफाई करने के पश्चात ही गाँठो की लदाई की जाये । आवश्यकता अनुसार परिवहनकर्त्ता को ट्रक पर खुद की तारपोलीन आदि बिछाकर गाँठो की लदाई करनी होगी । परिवहांकर्ता द्वारा प्रत्येक माह की 10 एवं 20 तारीख तक के कार्य के परिवहन बिल प्रस्तुत करना होगा । बिल दो प्रतियो मे तैयार किये जाये जिन मे लॉट नंबर/गाँठो की संख्या/पी.आर.नंबर /केन्द्र /किस्म/ फसलवर्ष गांठों का मूवमेंट ,ट्रक/लोरी नंबर ,गेट पास आदि विवरण दर्शाना होगा तथा सबंधित केन्द्र प्रभारी से सत्यापित करवाकर ही शाखा कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाये । निगम की लिखित आज्ञा के बिना रास्ते में ट्रान्सशिपमेंट की अनुमति नहीं होगी ।

18. प्रत्येक पिछले माह का परिवहन बिल शाखा कार्यालय मे उसके अगले माह की तीन तारीख तक प्राप्त हो जाने चाहिए अन्यथा TDS/GST के होने वाली व्याज की वसूली परिवहनकर्ता से की जायेगी ।

19. निगम के राजकोट कार्यालय बिलो का भुगतान बिल प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन भीतर किया जायेगा बशर्ते की बिल सही हो । उपरोकता अनुसार प्राप्त बिलो के चेकिंग के बाद उसका 90 % भुगतान 10 दिन मे परिवहनकर्ता को आयकर अधिनियम के अनुसार जरूरी कटौती (TDS) करने के बाद किया जायेगा । शेष 10% राशि का भुगतान ट्रांसपोर्टेसन कार्य के संतोषजनक निष्पादन के बाद फसल वर्ष के अंत में किया जायेगा अगर निगम के पास ऐसी कटौती एवं धरोहर राशि को मिलाकर पाँच लाख रुपया जमा हो जाता है तो ट्रांस्पोर्टर के आवेदन करने पर इससे अधिक राशि उसे लौटाई जा सकती है बशर्ते उसका कार्य संतोषजनक रहा हो ।

20. परिवहन का कार्य GSWC/CWC/APMC/Society आदि के कार्यालय समय अनुसार करना होगा एवं संस्था का नियमो का पालन करना होगा ।

21. निगम न्यूनतम कार्य देने के लिए बाध्य नहीं है । परंतु केंद्र पर उपलब्ध कार्य सुचारु रूप से करना होगा । निर्धारित कार्य निष्पादन के लिए यथास्थान परिवहन ठेकेदार को 24 घंटे में समुचित कार्ट/ट्रॉली/ट्रक एवं लेबर की व्यवस्था करनी होगी तथा रुई की गांठों तिरपाल से ढक कर ही उसी दिन निर्धारित लक्ष्य तक पहुचाना अनिवार्य है ।

22. यदि ठेकेदार की अवहेलना या असावधानी के कारण निगम को किसी प्रकार की वित्तीय या अन्य हानि होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

23. गाँठो के हेंडलिंग (Movement) के दौरान किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना के कारण अगर किसी मजदूर या अन्य व्यक्ति को शारीरिक मानसिक क्षति पहुचती है तो इसकी वितिय क्षतिपूर्ति के लिये परिवहनकर्ता ज़िम्मेवार होगा ।

24. इस संविदा के बाहर अथवा इससे संबन्धित किसी प्रकार का विवाद उठता है तो यह माना जाएगा कि विवाद कारण राजकोट के क्षेत्राधिकार मे उठाया गया है ।

25. मध्यस्थता : इस संविदा से संबन्धित कोई विवाद उठता है तो वह विवाद मध्यस्थता के लिए किसी मध्यस्थ (जो निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को सौपा जाएगा । मध्यस्थ कि नियुक्ति संबन्धित शाखा के उप महा प्रबंधक / महाप्रबंधक करेगा और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता को मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 तथा उसके बाद किसी सांविधिक पुनः अधिनियम तथा संशोधन के प्रावधान के अनुसार नियंत्रित और आयोजित किया जाएगा ।

26. यदि एक से अधिक परिवहनकर्ता एक ही प्रकार की न्यूनतम दरे भरते है, तो उनको अनुपातिक आधार कार्य दिया जाएगा ।

27. उपरोक्त उल्लेखित किसी भी नियम एवं शर्तों का अगर परिवहन ठेकेदारों द्वारा उल्लंघन किया जाता है या आबंटित कार्य का संतोषजनक निष्पादन नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा की वह **03 दिन** की नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर परिवहनकर्त्ता की EMD राशि जब्त कर ले।

28. कम/ज्यादा गाँठो के लोडिंग के कारण यदि कोई समस्या होती है तो पूर्ण ज़िम्मेदारी परिवहनकर्त्ता की होगी। लॉट वाइज़ गाँठो की लोडिंग करनी होगी। मिक्सिंग लॉट की लोडिंग की अनुमति नहीं होगी।

29. परिवहन के दौरान यदि कोई आकस्मिक /दुर्घटना होती है तो तुरंत **शाखा कार्यालय राजकोट या संबन्धित केंद्र प्रभारी को** तुरंत जानकारी देनी होगी इसके अलावा सारी औपचारिकता जैसे कि पुलिस थाने मे FIR लिखवाना/जांच रिपोर्ट/अग्निशमन दल की व्यवस्था करना/फोटो ग्राफर आदि के लिए परिवहनकर्ता की ज़िम्मेदारी रहेगी। FIR की कॉपी/ अग्निशमन दल की रिपोर्ट आदि दस्तावेजों को जमा करवाना जरूरी रहेगा।
30. बिल के साथ गेट पास / एल.आर. कॉपी के साथ RC बुक की झेरॉक्स कॉपी सभी केंद्र प्रभारी से प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान करने के लिए शाखा कार्यालय को भेजना होगा।

31. परिवहनकर्ता के बिल का भुगतान केवल RTGS/NEFT द्वारा ही किया जाएगा।

32. परिवहनकर्त्ता द्वारा केंद्र प्रभारी से दैनिक आधार पर संपर्क करते हुए परिवहन की आवश्यकता का पता लगाना होगा।

33. नियुक्त ठेकेदार को निर्धारित शर्तों के अनुसार रु.**100/- के स्टेम्प पेपर पर** अनुबंध करना होगा। ठेकेदार की अवधि नियुक्ति तिथि से **30.09.2019** तक या उसके पश्चात अगले ठेकेदार की नियुक्ति होने तक होगी।

34. यदि मूल परिवहनकर्ता (जिसे निगम द्वारा कार्य आबंटित किया गया है) आगे किसी अन्य परिवहनकर्त्ता को अपना आबंटित कार्य सौंपता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी तथा EMD राशि जब्त कर ली जाएगी।

35. **ANNEXURE -1** के अनुसार किसी भी समय परिवहनकर्त्ता के पास 10 ट्रक से ज्यादा ट्रक होते है तो उसकी जानकारी शाखा कार्यालय राजकोट को देनी होगी। ताकि उपरोक्त के अनुसार TDS की कटौती की जा सके। कर में छूट का सर्टिफिकेट परिवहनकर्त्ता को इस निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिए।

:: घोषणा ::

मैने इसके द्वारा सभी उपरोक्त नियमों एवं निगम द्वारा आपूर्ति की निविदा की शर्तों की जानकारी प्राप्त कर ली है एवं इसका पालन तथा हस्ताक्षर करने का वचन देता हू।

मै/हम ऊपर के नियम और शर्तों के साथ पूर्ण रूप से सहमत हू ।

परिवहन ठेकेदार के हस्ताक्षर ……

परिवहन ठेकेदार का नाम : ……

पता एवं सील : ……
……
……
……

केंद्र का नाम : ……

स्थान : .....
दिनांक : .....

(पार्टी के लेटर हेड पर होना आवश्यक है)

Declaration under section 194C (6) For Non –Deduction of Tax At Source

To,

M/s.The Cotton Corporation of India Ltd.

B.O…….

Declaration

I, Mr……..…….. (Proprietor/Partner/Director) of M/s ……..……(Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of section 194C of the Income Tax Act, 1961 for receiving payment from the payer without deduction of the tax at source.

01. That I/We am/are authorized to make this declaration in the capacity as proprietor/ Partner/Director.

02. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.

03. That the contractor does not own more than ten good carriage as on date.

04. That if the number of goods carriage owned by the contractor exceeds ten at any time during the period 2018-19 (2018-2019), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.

05. That the Income Tax permanent Account Number (PAN) of the contractor is ----------, A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.

06. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed form of declaration as notified by the Income Tax department.

Place :

Date : Declarant/Stamp

Verification

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my own knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place :

Date :

Name of the Declarant & Signature

Stamp